

फा.सं.7/2/2020-डीआरटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तृतीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,

8 जून, 2020

विज्ञापन

विषय: ऋण वसूली अपील अधिकरण (डीआरएटी) में अध्यक्ष के पद को भरा जाना।

दिनांक 31.12.2020 तक ऋण वसूली अपील अधिकरण (डीआरएटी), दिल्ली और इलाहाबाद में अध्यक्ष के पद की दो संभावित रिक्तियों और चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में स्थित किसी भी डीआरएटी में अध्यक्ष के पद की अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने हेतु पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी को रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार देश में किसी भी डीआरएटी में तैनात किया जा सकता है।

2. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह,-

क. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है; या

ख. भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और अपर सचिव या समतुल्य या उच्चतर पद दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण नहीं किया है; या

ग. ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण न किया हो।

3. डीआरएटी का अध्यक्ष अपना पद चार वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा।

4. डीआरएटी के अध्यक्ष के पद के लिए प्रयोज्य सेवा शर्तें, अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख को प्रयोज्य अधिकरण, अपील अधिकरण तथा अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव तथा सेवा शर्तें) नियम, 2020 के अनुसार होगी।

5. पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी (जो सरकारी सेवा में हों) समुचित चैनल के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध के रूप में संलग्न) में विगत पांच वर्ष अर्थात्, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर)/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), सतर्कता निकासी, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं, ताकि उनका आवेदन अवर सचिव (डीआरटी), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, प्रथम तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को 21 जुलाई, 2020 तक प्राप्त हो जाए। यदि तीन महीने से अधिक अवधि की कोई

एपीएआर/एसीआर अभिलेखबद्ध न की गयी हो तो वर्ष 2014-15 से पहले की उसी अवधि की एपीएआर/एसीआर कोई रिपोर्ट नहीं प्रमाणपत्र (एनआरसी) के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।

6. आवेदन की अग्रिम प्रतियां अथवा अपेक्षित दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदन अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. विज्ञापन तथा निर्धारित आवेदन इस मंत्रालय की वेबसाइट - finmin.nic.in (URL: <http://financialservices.gov.in/vacancy>) पर उपलब्ध है

8. विभाग को बिना कोई सूचना दिए किसी भी समय विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।



(सुभाषचन्द्र अमीन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन सं. 23748763

किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ का अनुसरण किया जाएगा।